

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक:- एफ2(1965)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/००282/2020

जयपुर, दिनांक : 13/01/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गोविन्द शर्मा, सहायक प्रोग्रामर, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर ने अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री गोविन्द शर्मा, सहायक प्रोग्रामर को एम.ए. (भूगोलशास्त्र) 2019, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्वयंपाठी के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री गोविन्द शर्मा, सहायक प्रोग्रामर को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— Sd —

(विवेक कुमार)
आरएस
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक निदेशक, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
3. श्री गोविन्द शर्मा, सहायक प्रोग्रामर, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर।
4. संबंधित निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)